रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2007/भाद्र 27, 1929

No. 1132] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2007/ BHADRA 27, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2007

का.आ. 1561(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे;

प्रारूप ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1585(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2006 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे जिसमें, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 सितम्बर, 2006 को उपलब्ध करा दी गई थीं और उक्त संशोधन नियम उसी तारीख को ओजोन सेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खंड (घ) में, "निर्यात की गई मात्रा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और फीड स्टॉक पदार्थ के रूप में उपयोग की गई मात्रा, जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है;

(ii) खंड (ञ) में, "प्रोटोकाल" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और उसके संशोधन के पक्षकार" ।

3. मूल नियम के नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1) में, पहले परन्तुक में, "उस अनुसूची के स्तंभ (4)" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उन पदार्थों को अपवर्जित करते हुए, जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में समस्त रूप से उपयोग किया जाता है";

(ख) उपनियम (3) और उप-नियम (4) के स्थान पर

निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति, जिसने प्रोटोकाल के, जिसकी केन्द्रीय सरकार,—

(i) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह IV के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 10क के अनुसार बहुपक्षीय निधि से वित्तीय सहायता ली है, अनुसूची III के स्तंभ (4) के रूप में विनिर्दिष्ट;

(ii) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह IV के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुसूची II के स्तंभ (4) में स्तंभ (5) के समूह IV में विनिर्दिष्ट ;

(iii) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में, समूह I और समूह II के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में आनुक्रमिक कमी करने के लिए पक्षकार है, अनुसूची 3 के स्तंभ (5) के रूप में विनिर्दिष्ट,

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग को 1 अगस्त, 2000 से 1 जनवरी, 2010 तक प्रत्येक वर्ष में बहुपक्षीय नीति की कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार अनुसूची 3 के स्तंभ (6) में दिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट मात्राओं तक सीमित करेंगे ।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट करार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार गैर-फीडस्टॉक उपयोग के लिए क्लोरोफ्लूरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा फीडस्टॉक उपयोजन के लिए सत्यापन प्रणाली के उत्पादन और उपभोग के लिए और अननुपालन के लिए कोटा प्रणाली जैसे ऐसे तरीकों सहित जो उक्त करारों में अधिकथित पारिणामिक शास्तियों के परिणामस्वरूप होंगे, कार्यान्वयन तरीके पुर:स्थापित करेगी ।"

4. मूल नियम के नियम 5 में,—

(क) उप-नियम (2) में, "अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में दिए गए समूह I और समूह 3 के सिवाय" शब्दों, अक्षरों और संख्याओं का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ।

5. मूल नियम के नियम 9 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) इस नियम के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के उपबंध किसी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ को लागू होंगे जिनका नगण्य उत्सर्जन सहित, यदि कोई हो, अन्य रसायनों के विनिर्माण में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए विनिर्माण किया जाता है ।"

6. मूल नियम के नियम 10 के उप-नियम (1) में, "परन्तु ऐसे उत्पादों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई व्यक्ति अनुसूची 7 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद का, जो अनुसूची 1 के समूह I, समूह II और समूह III में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से बना है या उसमें अंतर्विष्ट है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 के प्रारंभ की तारीख से आयात नहीं करेगा या आयात नहीं कराएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे उत्पाद" ।

7. मूल नियम के नियम 13 के उप-नियम (6) और उप-नियम (7) का लोप किया जाएगा ।

8. मूल नियम की अनुसूची 1 में,-

(क) क्रम सं. 22 से संबंधित प्रविष्टियों के स्तंभ (3) में, "डाईक्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन (सीएच$_2$ सीएल$_2$)" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "क्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन (सीएचएफ$_2$ सीएल) शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम सं. 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का रासायनिक नाम	समूह	ओजोन अवक्षयकारी विभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96.	ब्रोमोक्लोरोमीथेन	सीएच$_2$ बीआरसीएल	IX	0.12"

9. मूल नियम की अनुसूची 2 में,—

(1) स्तम्भ 4 में,—

(i) क्रम स. 1(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम सं. 1(ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "50" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम सं. 2(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "15" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) क्रम सं. 3(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) क्रम सं. 3(ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "70" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) क्रम सं. 3(ग) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "30" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) क्रम सं. 6(क) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "100" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (7) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वह तारीख जब ये नियम प्रवृत्त होंगे ।";

(4) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	आधारिक स्तर से संबंधित वर्ष	संपूर्ण समूह के लिए परिकलित आधारिक स्तर की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन	संपूर्ण समूह के लिए आधारिक वर्षों के परिकलित उपभोग की प्रतिशतता के रूप में बारह मास की किसी अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग	स्तंभ (4) और स्तंभ (5) से संबंधित तारीख	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन की क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों से युक्त या उनसे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माण की नई क्षमताओं के सृजन पर पाबंदी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"7.	IX	—	—	0**	—	वह तारीख जब ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 प्रवृत्त होंगे	वह तारीख जब ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2007 प्रवृत्त होंगे"

10. मूल नियम की अनुसूची 4 में, पहले पैरा की प्रविष्टियों के पश्चात्, "या अनुसूची 4 के स्तंभ (4) में दी गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो" शब्द, कोष्ठक और संख्यांक का लोप किया जाएगा ।

11. मूल नियम की अनुसूची 5 में,—

(क) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"फीडस्टॉक उपयोग के लिए अनुसूची 1 के समूह IV में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्यमों के सिवाय :

परन्तु अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VI में सूचीबद्ध ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2030 या उससे पूर्व होगी ।";

(ख) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (2) में, "10(2)" अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"समूह I, समूह II, समूह III और समूह IV के अधीन सूचीबद्ध पदार्थ की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक, समूह VI की दशा में, 31 दिसंबर, 2039 तक और समूह VIII की दशा में 31 दिसंबर, 2014 तक ;";

(घ) क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"समूह I, समूह II और समूह III के अधीन सूचीबद्ध पदार्थों की दशा में, 31 दिसंबर, 2006 तक, समूह IV में पदार्थों की दशा में, 31 दिसंबर, 2009 तक और समूह VI की दशा में 31 दिसंबर, 2030 तक";

(ङ) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(च) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

12. मूल नियम की अनुसूची VI में,—

(1) भाग I में,—

(क) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"1क. अफगानिस्तान

1ख. अलबेनिया

1ग. अंगोला";

(ख) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"3क. अर्मीनिया";

(ग) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"9क. भूटान";

(घ) क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"16क. कंबोडिया";

(ङ) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"17क. केप वेर्डे";

(च) क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"21क. कुक आइसलैंड";

(छ) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) के स्थान पर "कोट डी' आईवोर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ज) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"30क. डिजीबाउटी";

(झ) क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"35क. एरिट्रिया";

(ञ) क्रम सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"44क. गिनिया बिसाउ";

(ट) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"45क. हैती";

(ठ) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"53क. किरगिस्तान";

(ड) क्रम सं. 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"59क. लाइबेरिया";

(ढ) क्रम सं. 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"65क. मारशल आइसलैंड";

(ण) क्रम सं. 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(त) क्रम सं. 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"69क. माइक्रोनेशिया (के परिसंघीय राज्य)";

(थ) क्रम सं. 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"75क. नोरू";

(द) क्रम सं. 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"80क. नीयू";

(ध) क्रम सं. 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"81क. पलाऊ";

(न) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"88क. रवांडा";

(प) क्रम सं. 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"92क. साओ टोम और प्रिंसिपे";

(फ) क्रम सं. 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"94क. सर्बिया और मोटेंनेग्रो";

(ब) क्रम सं. 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"95क. सियेरा लियोन";

(भ) क्रम सं. 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(म) क्रम सं. 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"98क. सोमालिया";

(य) क्रम सं. 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"101क. सूरीनाम";

(यक) क्रम सं. 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"107क. टोंगा";

(यख) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"110क. तुर्कमेनिस्तान";

110ख. तुवालु";

(यग) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"113क. वानुआटू";

(यघ) क्रम सं. 114 और विद्यमान प्रविष्ट के स्तंभ (2) के स्थान पर "वेनेजुएला (का बोलीवेरियन गणतंत्र)" रखा जाएगा ;

(यड.) क्रम सं. 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप

किया जाएगा;

(2) भाग II का लोप किया जाएगा ;

(3) भाग III में,—

(क) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"27क. माल्टा";

(घ) क्रम सं. 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"36ग. स्लोवेनिया" ;

13. मूल नियम की अनुसूची 9 के भाग 2 में,—

(क) शीर्षक में, "नवीकरण" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) पैरा 4 और पैरा 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 16/1/96-ओसी]

डा. बी. पी. नीलरत्न, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के असाधारण राजपत्र में, का. आ. सं. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1283(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2001, का. आ. सं. 996(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, का. आ. सं. 929(अ), तारीख 16 अगस्त, 2004 और का. आ. सं. 1391(अ), तारीख 26 सितंबर, 2005 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2007

S.O. 1561(E).—whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 *vide* Notification Number S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000;

Whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006 were published, under the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1585(E), dated the 22nd September, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public on the 24th September, 2006 and the said amendment rules were also placed in the website of Ozone Cell on the same day;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules 2000, (hereinafter referred to as the principal Rules),—

(i) in clause (d), after the words "the amount exported", the following shall be inserted, namely :—

"and the amount used as feedstock substance which is used entirely in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any";

(ii) in clause (j), after the words "the protocol", the following shall be inserted, namely:—

"and parties to the amendments thereof".

3. In rule 3 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), in the first proviso, after the words "column (4) of that Schedule", the following shall be inserted, namely : —

"excluding the substances which is for the use of as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any";

(b) for sub-rules (3) and (4), the following rules shall be substituted, namely :—

"(3) A person having received financial assistance from the Multilateral Fund in accordance with articles 10 and 10A of the Protocol to which the Central Government is a party for gradual reduction of production and consumption of ozone depleting substances—

(i) specified as Group I and Group III in column (4) of Schedule I shall, limit the production of ozone depleting substance as specified in column (4) of Schedule III;

(ii) specified as Group IV in column (4) of Schedule I shall limit the production and consumption of ozone depleting substance specified in columns (4) and (5) of Schedule II;

(iii) specified as Group I and Group II in column (4) of Schedule I shall limit the consumption of ozone depleting substance as specified in column (5) of Schedule III, in each year from 1st August, 2000 to 1st January, 2010 to quantities specified in column (4) for each year given in column (6) of Schedule III as per the agreement approved by the Executive

Committee of the Multilateral Fund.

(4) In order to implement the agreement, referred to in sub-rule (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as quota system for production and consumption of chlorofluorocarbons and carbon tetrachloride for non-feedstock use and verification system for feedstock application, and non-compliance with such modalities shall result in consequential penalties laid down in the said agreements.".

4. In rule 5 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (2), the words, letters and numbers "except Group I and Group III given in column (4) of Schedule I" shall be omitted;

(b) Sub-rule (3) shall be omitted.

5. After Sub-rule (2) of rule 9 of the principal rules, the following Sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) The provisions of sub-rules (1) and (2) of this rule shall not apply to any ozone depleting substance which is produced for the use of as feedstock in the manufacturing of other chemicals, with negligible emissions, if any.".

6. In Sub-rule (1) of rule 10 of the principal rules for the words "Provided that such products", the following shall be substituted, namely :—

"Provided that no person shall import or cause to import any product specified in column (2) of Schedule VII which are made with or contain ozone depleting substances as listed in Group I, Group II and Group III in Schedule I from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2007 :

Provided further that such products".

7. In rule 13 of the principal rules, Sub-rules (6) and (7) shall be omitted.

8. In Schedule-I to the principal rules,—

(a) in column (3) of the entries relating to serial number 22, for the word, letters and figures "Dichlorodifluoromethane(CHF_2Cl_2)", the word, letters and figures "Chlorodifluoromethane (CHF_2Cl)" shall be substituted;

(b) after serial number 95 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of Ozone Depleting Substance	Chemical Composition of Ozone Depleting Substance	Group	Ozone Depleting Potential
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"96.	Bromochloro-methane	CH_2BrCl	IX.	0.12".

9. In Schedule-II to the principal rules, -

(1) in column (4),—

(i) for the entry against serial number 1(a), the entry "100" shall be substituted;

(ii) for the entry against serial number 1 (b), the entry "50" shall be substituted;

(iii) for the entry against serial number 2(a), the entry "15" shall be substituted;

(iv) for the entry against serial number 3(a), the entry "100" shall be substituted;

(v) for the entry against serial number 3(b), the entry "70" shall be substituted;

(vi) for the entry against serial number 3(c), the entry "30" shall be substituted;

(vii) for the entry against serial number 5(a), the entry "100" shall be substituted;

(2) in column number (7) against serial number 5, for the existing entry, the following entries shall be inserted, namely :—

"Date on which these rules come into force." ;

(3) after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of Group of Ozone Substances	Year(s) relating to base level	Maximum allowable production in a period of twelve months as percentage of calculated base level for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve months as percentage of calculated consumption of base years for Group as a whole	Date related to columns (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of Ozone Depleting Substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing Ozone Depleting Substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"7.	IX	—	—	0**	—	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2007 came into force.	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules,2007 came into force.".

10. In Schedule IV of the principal Rules, after the entries in the first paragraph, the words, brackets, number and letters "or the date given in column (4) of Schedule IV whichever is earlier" shall be omitted.

11. In Schedule-V to the principal rules,—

(a) against serial number 1, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely :—

"except for the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group IV of Schedule I for feedstock use :

provided that the last date for registration of the enterprises producing ozone depleting substances listed in Group VI in column (4) of Schedule I shall be on or before the 31st December, 2030.";

(b) against serial number 2, in column (2), the figures and brackets "10 (2)" shall be omitted;

(c) against serial number 3, in column (5), after the existing entries, the following shall be inserted, namely :—

"In case of substance listed under Group I, Group II, Group III and Group IV up to 31st December 2009, in case of substances in Group VI up to 31st December, 2039 and in case of substances in Group VIII up to 31st December 2014,";

(d) against serial number 4, in column (5), for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"In case of substance listed under Group I, Group II and Group III up to 31st December 2006, in case of substances in Group IV up to 31st December 2009 and Group VI up to 31st December, 2030";

(e) against serial number 5, in column (5), the existing entries shall be omitted;

(f) against serial number 6, in column (5), the existing entries shall be omitted.

12. In Schedule VI of the principal rules, -

(1) in Part I.—

(a) after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

"1A. Afghanistan

1 B. Albania

1 C. Angola";

(b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"3A. Armenia";

(c) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"9A. Bhutan";

(d) after serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"16A. Cambodia";

(e) after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"17A. Cape Verde";

(f) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely —

"21A. Cook Islands";

(g) against serial number 27, for the existing entry in column (2), the entry "Cote d'ivoire" shall be substituted.

(h) after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"30A. Djibouti";

(i) after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"35A. Eritrea";

(j) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"44A. Guinea Bissau";

(k) after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"45A. Haiti";

(l) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"53A. Kyrgyzstan";

(m) after serial number 59 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"59A. Liberia";

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"65A. Marshall Islands";

(o) serial number 66 and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) after serial number 69 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"69A. Micronesia (Federated States of)";

(q) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"75A. Nauru" ;

(r) after serial number 80 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"80A. Niue" ;

(s) after serial number 81 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"81A. Palau" ;

(t) after serial number 88 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"88A. Rwanda" ;

(u) after serial number 92 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"92A. Sao Tome and Principe" ;

(v) after serial number 94 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"94A. Serbia and Montenegro" ;

(w) after serial number 95 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"95A. Sierra Leone" ;

(x) serial number 97 and the entries relating thereto shall be omitted;

(y) after serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"98A. Somalia" ;

(z) after serial number 101 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"101A. Suriname" ;

(za) after serial number 107 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"107A. Tonga" ;

(zb) after serial number 110 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

"110A. Turkmenistan

110B. Tovalu" ;

(zc) after serial number 113 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"113A. Vanuatu" ;

(zd) against serial number 114, in column (2), for the existing entry, the entry "Venezuela (Bolivarian Republic of)" shall be substituted.

(ze) serial number 117 and the entries relating thereto shall be omitted;

(2) Part II shall be omitted;

(3) in Part III, —

(a) serial number 6 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) serial number 15 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"27 A. Malta" ;

(d) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"36C. Slovenia".

13. In Schedule IX of the principal rules, in Part II,—

(a) in the heading, the word "renewal" shall be omitted;

(b) paragraphs 4 and 5 shall be omitted.

[F. No. 16/1/96-OC]

Dr. B. P. NILARATNA, Jt. Secy.

Note : The Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000 and, subsequently amended vide numbers S.O. 1283(E), dated the 31st December, 2001; S.O. 996(E), dated the 27th August, 2003; S.O. 929(E), dated 16th August, 2004 and S.O. 1391 (E), dated the 26th September, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.